मुंबई हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के संबंध में

महाराष्ट्र सरकार

तथा

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड के मध्य

राज्य सरकार समर्थन समझौता

अथवा "एसजीएसए"

विषयवस्तु तालिका

अनुच्छेद 1 परिभाषाएं एवं व्याख्या.....	2
अनुच्छेद 2 पूर्ववर्ती परिस्थिति.....	5
अनुच्छेद 3 महाराष्ट्र सरकार का समर्थन.....	5
अनुच्छेद 4 शर्तें एवं समाप्ति.....	8
अनुच्छेद 5 प्रस्तुतीकरण एवं आश्वासन.....	9
अनुच्छेद 6 समन्वय प्रक्रिया.....	9
अनुच्छेद 7 विविध.....	9
अनुसूची 1 हवाई अड्डा कार्यस्थल.....	12
अनुसूची 2 हवाई अड्डा कार्यस्थल पर अवैध रूप से कब्जा की गयी भूमि का संभावित विवरण.....	13
अनुसूची 3 वैमानिक सेवाएं.....	15

यह राज्य सरकार समर्थन समझौतानिम्नलिखित पक्षों के बीच 27अप्रैल, 2006 को मुंबई में निष्पादित किया गया:

(1) एक भाग **महाराष्ट्र सरकार के गवर्नर,** महाराष्ट्र सरकार की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके बाद **"जीओएम"**के नाम से जाना जाएगा (इस अभिव्यक्ति में इनके परवर्ती और अनुमत नियत सभी शामिल होंगे); और

(2) दूसरा भाग **मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड**,भारत में इंडियन कंपनी एक्ट, 1956 के अंतर्गत शामिल की गयी कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल, मुंबई में स्थित है (जिसे आज के बाद कंपनी के नाम से संदर्भित किया जाएगा और इस अभिव्यक्ति में इनके परवर्ती और अनुमत नियत सभी शामिल होंगे)।

महाराष्ट्र राज्य सरकार तथा कंपनी दोनों सामूहिक रूप से आज के बाद **"पक्षों"** के रूप में संदर्भित होंगे तथा व्यक्तिगत रूप से **"पक्ष"** के रूप में संदर्भित होंगे।

जबकि:

(क)भारत में हवाई अड्डा आधारसंरचना के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने अपनी नीति के एक हिस्से के तौर पर मुंबई हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण, उन्नयन तथा विकास के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है।

(ख) इस दिशा में कंपनी, भारतीय विमान प्राधिकरण (आज के बाद जिसे **"एएआई"**के नाम से संदर्भित किया जाएगा) तथा कुछ निश्चित नीजी भागीदारों के संघ के मध्य एक संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित हो गयी है।

(ग) एएआई तथा कंपनी एक प्रचालन, प्रबंधन तथा विकास अनुबंध (जैसा कि इसके बाद यह परिभाषित है) में बंध चुके हैं जिसके द्वारा वे उन नियम व शर्तों के प्रति सहमत हो गये हैं जिनके द्वारा परियोजना (जैसा कि इसके बाद यह परिभाषित है) को क्रियान्वित किया जाएगा।

(घ) महाराष्ट्र सरकार, कंपनी के लिए विचार हेतु, विकास, डिजाइन, आधुनिकीकरण, उन्नयन, वित्तीयकरण, निर्माणकार्य, निष्पादन, रखरखाव, प्रचालन तथा हवाई अड्डे के प्रबंधन (जैसा कि इसके बाद परिभाषित है) के लिए ओएमडीए में प्रवेश के लिए सहमत हो गयी है तथाइसके सुचारू

संचालन के लिए परियोजना को अनुबंध में वर्णित विधि के अनुसार व स्तर तक समर्थन उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गयी है।

अब इसलिए,पूर्वगामी तथा संबंधित प्रसंविदाओं तथा इस समझौते में छापे गये अनुबंधों, प्राप्तियों, जिसकी उपयुक्तता एवं पर्याप्तता एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है को विमर्शित करते हुए पक्षगण निम्न प्रकार से सहमत होते हैः

अनुच्छेद 1

1 परिभाषाएँ और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस समझौते में, इस सीमा को छोड़कर कोई अन्यथा संदर्भ की आवश्यकता न हो, निम्नलिखित पदों का निम्न अर्थ होगा:

“एईरोनॉटिकल एसेट्स”का तात्पर्य उन परिसंपत्तियों से होगा जो वैमानिकी सेवाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक व जरूरी हैं तथा वे परिसंपत्तियां होगीं जो जेवीसी परियोजना अनुबंध में निर्धारित प्रावधानों के क्रम में (अथवा अन्यथा भारत सरकार/एएआई के लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार), आरक्षित गतिविधियों के किसी प्रावधान के लिए व इसके संबंध में खरीदेगी तथा विशेषरूप से अवधि के दौरान अधिकृत की गई व लीज पर ली गई पूरी भूमि, संपत्ति तथा उस परस्थित निर्माण कार्य शामिल होगा

"एइरोनाटिकल सेवाओं" का अर्थ यहाँ अनुसूची 3 में वर्णितानुसार होगा;

"एग्रीमेंट"अथवा **" इस एग्रीमेंट"**का अर्थ सरकार द्वारा समर्थन प्राप्त समझौता होगा;

"हवाई अड्डा" का अर्थ हवाई अड्डा कार्यस्थल पर स्थितछत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से है;

"हवाई अड्डा कार्यस्थल" का अर्थ यहाँ पर अनुसूची 1 मे वर्णित भूभाग से है;

"**लागू कानून**" का अर्थ है, कोई एवंसभी लागू कानून जिनमेंउसके अंतर्गत निर्धारित किये गये कोई नियम, निर्देश, विनियम तथा/अथवा अधिसूचनाएंतथा न्यायालय के निर्णय,निषेधाज्ञा, लेखन (रिट) और किसी भी न्यायायल के आदेश शामिल हैं, जो भी इस समझौते के निर्वाह के दौरान भारत एवं महाराष्ट्र राज्य में लागू और प्रभावी हो वे सभी शामिल हैं;

"**क्लीयरेंस**" का अर्थ है परियोजना से संबंधित लिखित सहमति, लाइसेंस, अनुमोदन, परमिट, विनिर्णय, छूट, अनापत्ति प्रमाण पत्र या अन्य प्राधिकरण या अन्य किसी भी प्रकार की अनुमति जिसे समय-समय पर जीओआई द्वारा दिया जाना है अथवा जीओआई से प्राप्त किया जाना है;

"**कंपनी**" का अर्थ इस समझौते की प्रस्तावना में वर्णित शब्द से है;

"पूर्वगामी शर्त" का अर्थ यहांअनुच्छेद 2.1 में वर्णित शब्द से है;

"इंटिटी" का अर्थ किसी व्यक्ति, कारपोरेट निकाय, न्यास, साझा कंपनी अथवा व्यक्ति/वैयक्तियों का दूसरा संघ भले ही वह पंजीकृत हो अथवा नहीं, से है;

"जीओआई" का अर्थ भारत सरकार तथा उसके नियंत्रणाधीन एवं निर्देशों के अधीनकिसी एजेंसी, प्राधिकरण (किसी विनियामक प्राधिकरण सहित), विभाग, निरीक्षणालय, मंत्रालय अथवा प्राधिकृत व्यक्ति (स्वायत्त हो अथवा नही) से है;

"जीओएम" का अर्थ महाराष्ट्र राज्य सरकार तथा उसके नियंत्रणाधीन एवं निर्देशों के अधीन किसी एजेंसी, प्राधिकरण (किसी विनियामक प्राधिकरण सहित), विभाग, निरीक्षणालय, मंत्रालय अथवा प्राधिकृत व्यक्ति (स्वायत्त हो अथवा नही) से है;

"प्रचालन, प्रबंधन तथा विकास अनुबंध" अथवा **"ओएमडीए"**का तात्पर्य प्रचालन प्रबंधन तथा विकास अनुबंध में शामिल, यहां वर्णित दिनांक में, एएआई तथा कंपनी के मध्य हुए समझौते में वर्णितानुसार है;

"परियोजना" का अर्थ ओएमडीए के अंतर्गत दिये गये डिजाइन, विकास, निर्माणकार्य, आधुनिकीकरण, उन्नयन, वित्त, प्रबंधन, प्रचालन तथा रखरखाव से है;

"परियोजना अनुबंध" का अर्थ एक अथवा सभी निम्नानुसार वर्णित अनुबंधों को शामिल करना है जिसमें (iii) से (viii) की व्याख्या ओएमडीए में आगे की गई हैः

(i) यह समझौता;
(ii) द ओएमडीए;
(iii) हितधारकोंकासमझौता;
(iv) द सीएनएस-एटीएम समझौता;
(v) हवाई अड्डे का समझौता;
(vi) भारत सरकार (जीओआई) का राज्य समर्थन समझौता;
(vii) निलंब समझौता; तथा
(viii) प्रतिस्थापन समझौता।

"टर्म"का अर्थ यहां अनुच्छेद 4.1 में वर्णितानुसार होगा;

"थर्ड पार्टी"का अर्थ किसी कंपनी से है जो कि इस समझौते में एक पक्ष नहीं है;

"यूटिलिटीज"सामूहिक रूप से हवाई अड्डे पर मलजल निस्तारण के लिए पानी, बिजली तथा आधारभूत संरचना को तथा ठोस कूड़ा प्रबंधन संदर्भित करता है एवं **'यूटिलिटी'** इनमें से कोई भी एक हो सकती है।

1.2 **व्याख्या**

इस समझौते में, उस स्थिति को छोड़कर जहाँ संदर्भ की अलग से आवश्यकता न हो:

(i) किसी लिंग के लिए दिया गया संदर्भ दूसरे लिंग के संदर्भ को भी शामिल करेगा।

(ii) किसी अनुच्छेद, खंड, परिशिष्ट, अनुसूची, संलग्नक या अनुलग्नक के लिए संदर्भ अनुच्छेद, खंड, परिशिष्ट, अनुसूची, संलग्नक या अनुलग्नक के लिए होगा।

(iii) परिशिष्ट, अनुसूची, संलग्नक तथा अनुलग्नक इस समझौते के अभिन्न अंग का निर्माण करते हैं। इस अनुच्छेदों के किसी प्रावधान में अथवा परिशिष्ट, अनुसूची, संलग्नक तथा अनुलग्नक इस समझौते के किसी प्रावधान में मतभेद की स्थिति में, अनुच्छेद के प्रावधान कायम रहेंगे।

(iv) समय के किसी भी संदर्भ से आशय भारत में संदर्भित समय से होगा। कैलेंडर के किसी भी संदर्भ से आशय ग्रिगोरियन कैलेंडर से होगा।

(v) अनुच्छेदों, खंडों, परिशिष्टों, अनुसूचियों, संलग्नकों तथा अनुलग्नकों के हैडिगों को इस समझौते में मात्र सुविधा के लिए डाला गया है तथा इनका प्रभाव इस अनुबंध के अर्थ व व्याख्या को प्रभावित नही करेगा।

(vi) शब्द 'शामिल' (include) अथवा (including)'शामिल करते हुए' के विषय में 'बिना प्रतिबंध' अथवा 'लेकिन तक सीमित नहीं' माना जाएगा भले ही वे इन पदबंधों से अनुगमित हो अथवा नहीं।

(vii) संदर्भित किया गया कोई भी समय इस प्रकार के समय की अंतिम तिथि के बाद समाप्त माना जाएगा।

(viii) निर्माणकार्य का नियम, यदि कोई हो तो, कि ड्राफ्टिंग व तदुपरांत उस पर निर्माणकार्य के लिए जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ कांट्रैक्ट को व्याख्यायित किया जाना चाहिए, लागू नही होगा;

(ix) अनुबंधों के सभी संदर्भ, विलेख, दस्तावेज अथवा अन्य उपकरण (सभी संबंधित अनुमोदनों के अधीन) उस अनुबंध, दस्तावेज अथवा यथा संशोधित, अनुपूरित, संशोधित, प्रतिस्थापित, नवस्थापित अथवा समय-समय पर प्रदत्त किये जाने के संदर्भ को शामिल करते हैं;

(x) कानूनी शक्ति अवधारित करने वाले किसी कानून अथवा विनियमन के संदर्भ में उस संदर्भ अथवा विनियमन को समय-समय पर संशोधित, परिशोधित, अनुपूरित विस्तृत अथवा पुनःअधिनियमित करने वाला संदर्भ शामिल है।

अनुच्छेद 2

पूर्ववर्ती शर्तें

2.1 इस समझौते के प्रावधान (अनुच्छेद 1,2,3.6.1, 3.6.4, 6 और 7 में शामिल प्रावधानों के अतिरिक्त जो इस समझौते की तारीख से पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होंगे) उस तारीख से (**"प्रभावी तिथि")** पार्टियों के लिए प्रभावी होंगे और बाध्यकारी हो जाएंगे जिस दिन ओएमडीए के लिए सभी पूर्ववर्ती शर्तें या तो पूरी तरह से पूरी कर ली जाएं अथवा ओएमडीए (**"पूर्ववर्ती शर्तें"**) के क्रम में उनकी छूट दे दी जाए।

इस अनुबंध के लिए, महाराष्ट्र राज्य सरकार, पूर्ववर्ती शर्तों की संतुष्टि से पूर्व किसी भी समय, किसी भी संतुष्टि तथा इस अनुबंध से पूर्व की सभी पूर्ववर्ती शर्तों को माफ करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है। इस संबंध में यह पक्षों के बीच स्पष्टरूप से समझ लिया गया है कि इस समझौते से संबंधित किसी भी पूर्ववर्ती शर्त/शर्तों की संतुष्टि का महाराष्ट्र सरकार द्वारा माफ किया जाना, किसी अन्य परियोजना समझौते के उद्देश्य के लिए इस प्रकार के परियोजना समझौते की किसी भी पूर्ववर्ती शर्त/शर्तों के लिए नही होगा।

2.2 पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा न करना

यदि पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा न किये जाने के लिए ओएमडीए की समाप्ति कर दी जाती है तो यह समझौता तुरंत समाप्त हो जाएगा।

अनुच्छेद 3

जीओएम का समर्थन

3.1 **हवाईअड्डा कार्यस्थल पर भू-अतिक्रमण एवं बाधाएं**

3.1.1 पक्षगण एतदद्वारा यह स्वीकार करते हैं कि वर्तमान में कुछ अवैध निवासी तथा अन्य व्यक्तिगण है जिन्होंने हवाई अड्डा कार्यस्थल पर अवैध कब्जा कर रखा है तथा वे वर्तमान में हवाई अड्डे की जमीन को अधिग्रहीत किये हुए हैं। हवाई अड्डा कार्यस्थल की जिस जमीन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है उसका विवरण अनुसूची 2 के रूप में इसके साथ संलग्न है।

3.1.2 यदि, इस कार्यकाल के दौरान किसी भी समय, कंपनी को हवाई अड्डा कार्यस्थल के उस भू-भाग जिसे कि अवैधरूप से कब्जा किया गया है का उपयोग करने की आवश्यकता होगी तथा वह वैमानिकी सेवाओं के प्रावधानों तथा/ अथवा निर्माणकार्य में, हवाई अड्डे पर वैमानिकी संपत्तियों के विकास एवं रखरखाव में बाधक है तो वह इसके विषय में जीओएम तथा एएआई को सूचित करेगा।

3.1.3 कंपनी से उक्त सूचना प्राप्त करने के अनुसरण में, जीओएम कंपनी द्वारा वांछित भूमि को साफ कराने में, अथवा इसी के संबंध में, हवाई अड्डे पर वैमानिकी सेवाएं प्रदान करने में तथा/अथवा हवाई अड्डे पर किसी भी वैमानिकी संपत्ति के रखरखाव हेतु, वहां मौजूद किसी अथवा सभी अतिक्रमणों से, संबंधित अवैध निवासियों से बातचीत करने को शामिल करते हुए, तथा वहां से किसी अवैध निवासी के पुनर्स्थापन में कंपनी तथा एएआई की सहायता करने में अपना सर्वोत्तम योगदान देगी। *बशर्ते हालांकि*, इस प्रकार के पुनर्स्थापन का *पूरा* व्यय *कंपनी* के द्वारा वहन किया जाएगा।

3.1.4 जीओएम एतद्द्वारा पुष्टि करती है कि यह उस भूमि (लागू स्लम पुनर्स्थापन योजना के क्रम में) की पहचान करने व उसे आरक्षित करने के लिए जहां अवैध निवासी एवं अन्य व्यक्तियों जिन्होंने हवाई अड्डा कार्यस्थल पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है उनको पुनर्स्थापित किया जा सकता है, के लिए पूरे पर्यास करेगी। पुनर्स्थापन के पूरे व्यय का वहन कंपनी के द्वारा किया जाएगा।

3.1.5 कोई भी पुनर्स्थापन लागू कानून के अनुक्रम में होगा।

3.1.6 जीओएम आगे यह भी वचन देती है कि वह सुरक्षित एवं दक्षतापूर्ण वायु परिवहन संचालन सुनिश्चित करने के लिए,हवाईअड्डे की सीमारेखा से बाहर किसी बाधा को लागू नियमों के अधीन हटाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगी। इस संबंध में, जीओएम आगे यह वचन देती है कि वह यह भी सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास करेगी कि हवाई अड्डे से आने-जाने वाले वायु परिवहन को बाधा पहुँचाने वाला कोई नया निर्माणकार्य हवाई अड्डे के अंतर्गत न हो। जहाँ भी कोई ऐसा निर्माणकार्य प्रस्तावित हो जो हवाई अड्डे से सुरक्षित एवं दक्षतापूर्ण वायु परिवहन संचलन को गलत ढंग से प्रभावित करेगा तो, जीओएम तुरंत एएआई तथा इस विकास कार्य की जेवीसी को सूचित करेगी तथा तब तक इस प्रकार के किसी विकास कार्य को अनुमोदित नहीं करेगी जब तक कि एएआई द्वारा जेवीसी की सहमति से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी न कर दिया जाए।

3.2 **हवाई अड्डे के विकास के लिए अतिरिक्त भूमि**

जीओएम एतद्द्वारा पुष्टि करती है कि यह कंपनी को इस प्रकार की अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने हेतु पूरा प्रयास करेगी जिस प्रकार की भूमि की आवश्यकता कंपनी को है तथा इस कार्य की पूर्ति के लिए कंपनी के द्वारा उस भूमिका चयन कर दिया गया है, जिसका उपयोग वह वैमानिकी सेवाओं की पूर्ति तथा/अथवा निर्माण कार्य करने के लिए, हवाई अड्डे पर किसी भी प्रकार की वैमानिकी संपत्ति को बनाये रखने के लिए करेगा। कंपनी,जीओएम द्वारा उपलब्ध कराई

गई इस प्रकार की भूमि को मार्केट की कीमत पर अथवा दोनों पक्षों द्वारा आपस में सहमत हुई कीमत पर एतदद्वारा खरीदने का भी वचन देती है। इस प्रकार से अधिग्रहीत की गई भूमि जिसका उपयोग वैमानिकी सेवाओं के प्रावधानों के लिए किया जाना है तथा/अथवा वैमानिकी संपत्ति के निर्माणकार्य, विकास एवं संरक्षण के लिये किया जाना है वह वैमानिकी संपत्ति का हिस्सा बन जाएगा।

3.3 **हवाई अड्डे तक सतही पहुँच**

पक्षगण एतदद्वारा स्वीकार करते है कि वर्तमान में हवाई अड्डे में प्रवेश अथवा निकास अंधेरी-सहर रोड़ **("मौजूदा प्रवेश तथा निकास")** के माध्यम से ही है। पक्षगण यह भी स्वीकार करते हैं कि मौजूदा प्रवेश एवं निकास यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या तथा हवाई अड्डे के अन्य परिवहन की आवश्यकता को पूरा करने में अपर्याप्त है। पूर्वगामी के आलोक में, जीओएस एतदद्वारा इस बात की पुष्टि करती है कि हवाई अड्डे पर बढ़ती हुई यात्री संख्या तथा हवाई अड्डे पर परिवहनों के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए यह मौजूदा प्रवेश तथा निकास को बनाये रखने, आधुनिक बनाने व उन्नत करने का पूरा प्रयास करेगीतथा यहाँ तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के अन्य माध्यमों (जैसे कि रेलवे/मेट्रो) की उचित सुविधा सुनिश्चित करेगी, हवाई अड्डे के चारों ओर अंदर एवं बाहर के क्षेत्र में समग्र शहर की योजना के क्रम में तथा इन सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो तो, जैसा कि कंपनी द्वारा जीओएम को बताया गया, यह अपने स्वंय के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है कि जैसा भी वह उचित समझे। इस दिशा में कार्य करते हुए मास्टर प्लान के बनने के समय जीओएम तथा कंपनी एक दूसरे के साथ विचार-विमर्श करेंगें जिससे कि सतही विकास तक पहुँच सुनिश्चित हो सके।

3.4 **उपयोगिताएं**

पक्षगण आगे यह भी स्वीकार करते हैं कि आगे बढ़ना, जैसा कि हवाई अड्डा विकास एवं आधुनिकीकरण ओएमडीए में अवेक्षित प्रणाली में घटित होता है तथा जैसा कि यात्री एवं हवाई अड्डे पर समय के प्रवाह के साथ अन्य ट्रैफिक बढ़ता है तो इस स्थिति में उपयोगिताओं की क्षमता को बढाने की आवश्यकता हो सकती है। उपर्युक्त को देखते हुए जीओएम एतदद्वारा पुष्टि करता है कि यह उपयुक्त मात्रा में उपयोगिताओं (इस सीमा तक कि ये सेवाएं आम तौर पर जीओएम के द्वारा अथवा इसके विभागों/एजेन्सियों/स्थायीरूप से महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा लिए गये अथवा नियंत्रित किये गये उपक्रमों के द्वारा प्रदान की जाती है) को हवाई अड्डे के लिए भुगतान आधार पर, हवाई अड्डे का विकास एवं आधुनिकीकरण करवाने तथा यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या व अन्य ट्रैफिकों से सामंजस्य बिठाने के लिए करता है। जीओएम आगे इस बात की पुष्टि भी करती है कि वह विकास एवं उपयोगिताओं (इस सीमा तक कि ये सेवाएं आम तौर पर जीओएम के द्वारा अथवा इसके विभागों/एजेन्सियों/स्थायीरूप से महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा लिए गये अथवा नियंत्रित किये गये उपक्रमों के द्वारा संरक्षित की जाती है) के संबंध में मौजूदा सुविधाओं को बनाये रखने व विकसित करने का सर्वोत्तम प्रयास करेगी।

3.5 **हवाई अड्डे पर बचाव एवं सुरक्षा**

3.5.1 पक्षगण यह भी स्वीकार करते हैं कि हवाई अड्डे के अंदर व आस-पास साफ सफाई सुनिश्चित की जानी है जिससे कि इस क्षेत्र में पक्षियों एवं जानवरों की उपस्थिति से बचा जा सके जो कि हवाई अड्डे के सुचारू संचलन में बाधा पहुँचा सकते हैं तथा विमान सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। पूर्वगामी के प्रकाश में जीओएम एतद्द्वारा इस बात की पुष्टि करती है कि हवाई अड्डे के अंदर व इसके चारों ओर पक्षियों तथा जानवरों की उपस्थिति से हवाई अड्डे के प्रचालन में होने वाले किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा नुकसान को रोकने के लिए वह इसके चारों ओर साफ-सफाई बनाये रखने का सर्वोत्तम प्रयास करेगी।

3.5.2 जीओएम इस बात की भी घोषणा करती है कि वह अपने स्वंय के खर्चे पर हवाई अड्डे पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सामान्य एवं दैनिक आधार पर पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करेगी तथा जीओएम को इस कार्य को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए जेवीसी अपने स्वंय के खर्चे पर इसके लिए हवाई अड्डे पर उचित कार्यालय आवास की व्यवस्था करेगी।

3.5.3 इस अनुबंध में वर्णित अन्य किसी विपर्यय के बावजूद भी, पक्षगण एतद्द्वारा स्पष्टरूप से स्वीकार करते हैं तथा सहमत होते हैं कि जीओएम हवाई अड्डे के चारों ओर व इसके अंदर साफ-सफाई बनाये रखने से उत्पन्न अथवा से संबंधित किसी अथवा सभी कार्रवाइंयों, कार्यवाहियों, क्षतियों, नुकसानों, देयताओं, दावों, लागतों तथा तीसरे पक्ष अथवा जेवीसी के किसी भी प्रकार के व्ययों के प्रति जिम्मेदार व उत्तरदायी नही होगी।

3.6 **निकासी**

3.6.1 पक्षगण एतद्द्वारा स्पष्टरूप से यह स्वीकार करते हैं तथा सहमत होते हैं कि ओएमडीए में विस्तृत रूप में प्रकाशित परियोजना को पूरा करने व क्रियान्वित करने के लिए लागू कानूनों के अनुक्रम में वांछित सभी निकासियों को प्राप्त करने तथा हर समय बनाये रखने व इन्हें जारी रखने की एकल जिम्मेदारी व दायित्व कंपनी का होगा। इस दिशा में, जीओएम लागू कानूनों (बशर्ते कि लागू कानून के अधीन कंपनी इस निकासी को प्राप्त करने की हकदार हो) के पूर्ण अनुपालन व संपोषण में कंपनी द्वारा क्रियान्वित किये जाने पर, परियोजना के संबंध में वांछित इस प्रकार की निकासियों को प्रदान करने के लिए संबंधित संवैधानिक समयावधि (यदि कोई हो तो) के अंतर्गत अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगी तथा जहाँ इस प्रकार की कोई भी संवैधानिक समयावधि निर्धारित नहीं है वहाँ पर जीओएम इस प्रकार की वांछित निकासियों के लिए अथवा परियोजना के संबंध में निर्धारित समयावधि के भीतर संबंधित अनुप्रयोग के विधिवत रूप से पूर्ण होने के बाद तथा अनुप्रयोज्य कानूनों के पूर्णरूपेण अनुपालन में इस प्रकार की निकासियों को प्रदान करने का पूरा प्रयास करेगी।

3.6.2 इसके आगे जीओएम सक्षम स्थानीय प्राधिकारी से मास्टर प्लान का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम सहायता प्रदान करने का भी वचन देता है।

3.6.3 निकासियां प्रदान करने के क्रम में सुविधा पहुँचाने के लिए, जीओएम, महाराष्ट्र राज्य सरकार के सचिव के रैंक के एक अधिकारी को नामित करेगा जो कि जीओएम के नियंत्रण तथा निर्देशों के

अधीन संबंधित एजेन्सियों, प्राधिकरणों, विभागों, निरीक्षणालयों, मंत्रालयों से संपर्क स्थापित करने में कंपनी की सहायता करेगा।

3.6.4 कंपनी यह भी वचन देती है कि निकासियां प्रदान करने में तेजी लाने कि लिए, यह, परिश्रमी एवं समयबद्ध तरीके से (i)अनुप्रयोज्य कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन करते हुए आवेदनपत्र तैयार कर संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष दायर करेगी; तथा (ii) संबंधित प्राधिकरणों के साथ उक्त आवेदन पर आगे की कार्रवाई करेगी।

<u>अनुच्छेद 4</u>

अवधि और समापन

4.1 उपर्युक्त

वर्णित अनुच्छेद 2 के अधीन यह समझौता प्रभावी तिथि से पूर्णरूप से प्रभाव में आयेगा तथा प्रभावी तिथि से प्रभावी होगा व ओएमडीए के साथ-साथ समाप्त होने वाला होगा। प्रचुर सावधानी के साथ एतदद्वारा विशेषरूप से यह स्पष्ट किया जाता है कि यह समझौता समयावधि के समाप्त होने तथा/अथवा ओएमडीए के किसी भी कारण से पहले समाप्त होने तक/तब तक जब तक कि हवाई अड्डा पूरी तरह से बंद (द टर्म) न हो जाए पूर्णरूप से प्रभावी रहेगा। प्रचुर सावधानी के लिए, एतदद्वारा स्पष्टरूप से पक्षगणों के मध्य यह सहमति बनती है कि ओएमडीए के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे का मात्र अस्थायी तौर पर बंद होना इस समझौते की समाप्ति का परिणाम नही बनेगा।

4.2 इस समझौते के अनुसरण में कंपनी को प्रदान किये गये अधिकार व लाभ स्थानांतरित रहेंगे और लाभों को कंपनी के किसी उत्तराधिकारी तथा अनुमेय समनुदेशिती अथवा किसी अन्य व्यक्ति (जिसमें एएआई तथा एएआई का कोई अन्य उत्तराधिकारी शामिल है), जो कि किसी भी समय हवाई अड्डे को प्रचालित कर सके उसके लाभों को सुनिश्चित करेंगे।

अनुच्छेद 5

अभ्यावेदन एवं आश्वासन

5.1 **कंपनी के द्वारा दिये गये अभ्यावेदन एंव आश्वासन**

कंपनी एतदद्वारा जीओएम को अभ्यावेदन व आश्वासन देती है किः

(क) यह कंपनी भारतीय कानून के अधीन हिस्सों को शामिल करते हुए संगठित की गई एक निजी लिमिटेड कंपनी है तथा उचितरूप से गठित है तथा इसके संयोजन की तिथि से ही लगातार अस्तित्व में है;

(ख) कंपनी के पास कारपोरेट शक्ति तथा प्राधिकार है तथा इस समझौते के अधीन इसके अधिकारों का प्रयोग करने व दायित्वों का वैधता से निर्वहन करने के लिए आवश्यक सभी कार्रवाइयां संपादित कर ली हैं; तथा

5.2 **जीओएम के द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं आश्वासन**

जीओएम एतदद्वारा कंपनी को अभ्यावेदन व आश्वासन देती है किः

(क) जीओएम के पास अधिकार, शक्ति तथा प्राधिकार सुरक्षित हैं तथा इस समझौते को संपादित करने के लिए,अपने अधिकारों का प्रयोग करने तथा कार्य करने तथा सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर सभी आवश्यक कार्रवाइयां संपादित कर ली गई हैं।

अनुच्छेद 6
समन्वय तंत्र

6.1 इस समझौते से उत्पन्न किसी भी मामले को जीओएम द्वारा गठित की जाने वाली एक समन्वय समिति द्वारा सुलझाया जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव, जीओएम होगें तथा भारत सरकार एवं अन्य पक्षों के प्रतिनिधिगण इस समिति में शामिल होंगे।

6.2 यह समझौता महाराष्ट्र राज्य द्वारा किसी दायित्व के प्रवर्तन के लिए तथा तदनुसार जेवीसी अथवा अन्य पक्ष के द्वारा ली गयी क्षतियों/नुकसानों आदि के लिए जीओएम के खिलाफ कोई अधिकार प्रदान नही करेगा।

अनुच्छेद 7
विविध

7.1 **सूचना**

7.1.1 इस समझौते की शर्तों के अंतर्गत अथवा कानून द्वारा वांछित (जब तक अन्यथा सहमत न हो) अथवा अनुमेय कोई भी सूचना लिखित में होगी तथा वैयक्तिक रूप से दी जाएगी, पंजीकृत मेल अथवा एयर मेल जो भी उपयुक्त हो उसके द्वारा भेजी जाएगी, उचितरूप से प्रेषित तथा लिफाफे में अच्छी तरह से तैयार की जाएगी व लिफाफे पर अच्छी तरह से पता लिखा जाएगा अथवा निम्नलिखितानुसार संबंधित पक्षों को इसकी प्रतिलिपि प्रेषित की जाएगीः

<u>जीओएमः</u>

पताः कमरा संख्या-155, ..., मुंबई-400032

फैक्स सं.: 22815098

<u>कंपनीः</u>

पताः छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल, मुंबई

फैक्स सं.:

अथवा इस प्रकार के अन्य पतों अथवा प्रतिकृति नबंर जो समय-समय पर इसके बाद सूचना के द्वारा नामित किये जाएं।

7.1.2 इस प्रकार की कोई भी सूचना अंग्रेजी भाषा में होगी तथा इसके विषय में यह माना जाएगा कि जिस समय इसे दस्ती द्वारा दिया गया है तो इसे उस समय वास्तव में दिया गया है अथवा प्रतिलिपि भेजने के दूसरे कार्यदिवस अथवा दूसरीस्थिति में मेल किये जाने की दिशा में यह माना जाएगा कि 7 दिनों के भीतर उपरोक्तानुसार वर्णित ढंग में प्राप्त हो गया है।

7.2 **पृथक्करणीयता**

7.2.1 इस समझौते में निहित किसी शर्त अथवा शर्त के किसी भाग, परिस्थितियों अथवा प्रावधानों को, किसी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अवैध, गैरकानूनी अथवा किसी भी हद तक अप्रभावी निर्धारित किये जाने की स्थिति में, ये नियम, शर्तें अथवा प्रावधान उस हद तक उन शेष नियमों, शर्तों एवं प्रावधानों से अलग रहेंगे जो कानूनी रूप से सर्वोत्तम सीमा तक वैध एवं प्रवर्तनीय रहेंगे।

7.3 **संपूर्ण समझौता**

7.3.1 सभी अनुसूचियों तथा संलग्नकों के साथ यह समझौता, इस समझौते की विषयवस्तु के संबंध में पक्षगणों के मध्य संपूर्ण अनुबंध तथा समझौते को प्रस्तुत करता है तथा इन पक्षगणों के मध्य इस विषय पर पूर्व में मौजूद, लिखित अथवा मौखिक, अन्य किसी अनुबंध तथा समझौते का अधिक्रमण करता है।

7.4 **संशोधन**

7.4.1 इस समझौते में कोई परिवर्धन, संशोधन अथवा आशोधन तब तक प्रभावी नही होगा जब तक कि यह लिखित में न हो और दोनों पक्षों के द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

7.5 **समनुदेशन**

7.5.1 इसके बाद की तारीख के बाद लागू कानून में किसी भी बदलाव के बावजूदजो अन्यथा इस समझौते के कार्य की अनुमति दे सकता है, कोई भी पक्ष (अनुच्छेद 7.5.2 के क्रम में अनुमति प्राप्त) इस समझौते या इसके अंतर्गत आने वाले किसी भी अधिकार या दायित्व को नही सौंप

सकता है अथवा यहां वर्णित किसी लाभ अथवा हित अथवा इस समझौते पर किसी सुरक्षा को न तैयार कर सकता है न निर्वाह की अनुमति दे सकता हैअथवा इसके अधीन अथवा इसके अनुसरण में किसी अधिकार अथवा दायित्व अथवा इसके किसी लाभ अथवा रूचि को सौंप सकता है।

7.6 **कोई साझेदारी नहीं**

7.6.1 यह समझौता पक्षगणों के मध्य किसी साझेदारी को गठित नहीं करेगा व गठित करने के लिए विवेचित नहीं किया जाएगा। किसी भी पक्ष के पास दूसरे पक्ष को अपने एजेन्ट अथवा अन्यथा के तौर पर बांधने का प्राधिकार (जब तक कि इस अनुबंध के माध्यम से अथवा अन्यथा स्पष्टरूप से लिखित में प्रदान न किया गया हो तथा प्रतिसंहरण न किया गया हो) नही होगा।

उक्तानुसार वर्णित दिन और वर्ष के अनुसार **निम्नलिखित की गवाही में** पक्षगणों ने इस समझौते को अपने विधिवत तौर पर अधिकृत अधिकारियों और प्रतिनिधियों के द्वारा निष्पादित किया है।

द्वारा हस्ताक्षरित

जीओएम के लिए व की ओर से

की उपस्थिति में (1)

(2)

द्वारा हस्ताक्षरित

कंपनी के लिए व की ओर से

की उपस्थिति में (1)

(2)

अनुसूची 1

हवाई अड्डा कार्यस्थल

“हवाई अड्डा कार्यस्थल” का अर्थ ओएमडीए में वर्णितानुसार ही होगा।

अनुसूची 2

हवाई अड्डा कार्यस्थल पर अधिक्रमण की गई भूमि का संभावित विवरण

गाँव	कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)	कुल सर्वे सं. (लगभग)		पाँकेट का नाम	अधिक्रमण करने वालों की संख्या	बीएमसी वार्ड	पुलिस स्टेशन
कोल कल्याण	722	215	1)	कलीना-कुर्ला रोड़	65	एच(ईस्ट)V	अकोला पुलिस स्टेशन
			2)	जम्बालीपाड़ा] आजाद नगर] इंदिरानगर]	1100	“	“
			3)	शिवनगर एआई मेन गेट के सामने बीएपी	150	“	“
			4)	एआई स्पोर्टस क्लब के अंदर	150	“	“
			5)	गाओंदेवी	6000	“	“
			6)	अग्रीपाड़ा (ओल्ड)	3000	“	“
			7)	बाइ अब्बास अली चौधरी	4	के (ईस्ट) एल (वार्ड)	एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन शाकीनाका पुलिस स्टेशन
			8)	क्रांतिनगर	1700		
					14169		
शहर	561	150	9)	पी एण्ड टी क्वार्टर्स की ओर	30		विले पार्ले पुलिस स्टेशन
			10)	शांतिनगर शहर	5000		“
			11)	शहर विलेज तलाओ	2000	के (ईस्ट)	“
			12)	शुतार पाखाड़ी	100		शहर पुलिस स्टेशन
			13)	पेट्रोल पंप के सामने टर्मिनल-II के सामने	1000		“
					8130		
मारोल	190	53	14)	मारोल टैक एरिया	5000	के (ईस्ट)	शहर पुलिस स्टेशन
			15)	नवपाड़ा	1000		
			16)	चिमनपाड़ा	----------		
					6000		
विले पार्ले	128	52	18)	अग्रीपाड़ा	1500	एच (ईस्ट)	वकोला पुलिस स्टेशन
			19)	आशानगर मिलन सबवे	800		

			20)	शास्त्रीनगर	700		
			21)	शंभाजीनगर	700		विले पार्ले पुलिस स्टेशन
			22)	अम्बेडकर नगर	500	एच (ईस्ट) वार्ड	
			23)	अशोकनगर	500		
			24)	संजय गांहीनगर	300		
			25)	सुभाषनगर	350		
					5350		
कुर्ला	121½	40	26)	किस्मतनगर, कल्पना टाकीज के सामने	130		
			27)	संदेशनगर	2500	एल वार्ड	साकीनाका
			28)	जारीमरी			
			29)	शास्त्रीनगर, तरगाली, काजूपाड़ा, बेलबाजार	8000		
					10630		
कोंडीवीटा	11	6	14)	मारोल टैक एरिया	400	के (ईस्ट) वार्ड	शहर पुलिस स्टेशन
बापनाला	25½	12	14)	मारोल टैक एरिया	1200	के (ईस्ट)	शहर पुलिस स्टेशन
बामनवाडा	30½	17	30)	अंबेवाड़ी	500	के (ईस्ट)	विले पार्ले पुलिस स्टेशन
			31)	ब्रामनवाड़ा	1000		
					1500		
चकाला	22	39	32)	चकाला पाकेट्स	2000	के ईस्ट	अंधेरी पुलिस स्टेशन
मोहाली	37½	10	33)	हिल सं. 3 पीटी	8000	एल वार्ड साकीनाका	साकीनाका
			34)	तानाजी नगर			
			35)	जरीमारी			
		1	33)	हिल सं. 3 पीटी.	2000	एन वार्ड	घाटकोपर
असाल्पा किरोल	26½	प्लॉट सं. 20	36)	हिल सं. 4 पीटी. एवं मुकुंद फैक्टरी के पीछे	5000	एल वार्ड	घाटकोपर
कुल 12 गाँव	**1875**	**607**		**अधिक्रमणों की कुल संख्या**	**64,379 अर्थात 65,000**	**4 बीएमसी वार्ड्स**	**8 पुलिस स्टेशन**

अधिक्रमण के अधीन क्षेत्र-लगभग 171 एकड़

 # इस संख्या का अनुमान 1990 मे लगाया गया थाजैसा कि 1995 में अनुमान लगाया गया था अब लगभग 85000 तक बढ़ गई होंगी।

अनुसूची 3

वैमानिक सेवाएं

"वैमानिक सेवाओं" से तात्पर्य निम्नलिखित सुविधाओं एवं सेवाओं के प्रावधानों से हैः

1. उड़ान प्रचालन सहायता तथा चालक दल समर्थन प्रणालियों के प्रावधानः
2. राष्ट्रीय सुरक्षा के हित को छोड़कर हवाई अड्डे के सुरक्षित एवं सकुशल प्रचालन को सुनिश्चित करना;
3. विमान संचलन व पार्किंग तथा नियंत्रण सुविधाएं;
4. हवाई अड्डे का सामान्य अनुरक्षण व रखरखाव;
5. अनुरक्षण सुविधाएं तथा उनका नियंत्रण व विमानों की विमानशाला;
6. उड़ान सूचना प्रदर्शन स्क्रीनें;
7. बचाव तथा अग्नि-शमन सेवाए;
8. हवाई अड्डे पर तैनात कर्मियों का प्रबंधन व प्रशासन;
9. कर्मचारियों एवं यात्रियों की गतिविधियां तथा हवाई अड्डे पर मौजूद परिवहन के सभी साधनों में उनका अन्तर्विनिम;
10. दूरस्थ बोर्डिंग करने वाले वाहनों सहित यात्रियों के जहाज में चढ़ने-उतरने की व्यवस्था का रखरखाव;
11. हवाई अड्डे के सुरक्षित तथा दक्षतापूर्ण संचालन के लिए आवश्यक मानी जाने वाली कोई अन्य सेवाएं।

उपरोक्त वर्णित सुविधाओं एवं सेवाओं की एक विस्तृत सूची में निम्न को शामिल किया जा सकता है:

12. हवाई अड्डा नियंत्रण सेवाएं
13. एयरफील्ड
14. एयरफील्ड लाइटिंग
15. एयर टैक्सी सेवाएं
16. लेखन, ट्रैफिक सिगनलों, पहचानसूचकों तथा निगरानी के साथ एयरसाइड एवं लैंडसाइड अभिगम सड़कें तथा फोरकोर्टस
17. विमान की ईंधन सेवाओं के लिए प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं के द्वारा सामान्य हाइड्रेंट आधारिक संरचना
18. एप्रन तथा विमान पार्किंग क्षेत्र
19. एप्रन नियंत्रण तथा विमान स्टैंण्डों का आबंटन
20. आगमन जमाव तथा बैठक क्षेत्र
21. निर्गम एवं पुनःप्राप्त करने सहित यात्री सामान प्रणाली

22.पक्षियों को डराना
23. प्रवेश जमाव
24. सफाई, तापन, प्रकाश एवं पब्लिक एरिया को वातानुकूलित करना
25.सीमा-शुल्क तथा आव्रजन हॉल
26. आपातकालीन सेवाएं
27.दिव्यांग एवं अन्य विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए सुविधाएं
28. अग्नि सेवा
29.उड़ान सूचना एवं जन-उद्घोषणा प्रणाली
30. गंदे और सतही पानी की निकासी
31. मार्गदर्शन प्रणाली और रचनाक्रम
32. सूचना डैस्क
33.अंतर-टर्मिनल अभिवहन प्रणाली
34. लिफ्टें, एस्केलेटर एवं पैंसेजर कन्वेयर्स
35. लोडिंग ब्रिज
36. खोई हुई संपत्ति
37. यात्री तथा हाथ के सामान की खोज
38. पियर्स तथा गेट रूम
39. पुलिस विभाग तथा आम सुरक्षा
40. प्रार्थना कक्ष
41. डाक कार्यालय की आधारिक संरचना/सुविधाएं
42. सार्वजनिक टेलीफोन की आधारिक संरचना/सुविधाएं
43. बैंकों की आधारिक संरचना/सुविधाएं
44.शुभ मुहुर्त (Bureaux de Change) के लिए आधारिक संरचना/सुविधाएं
45. रनवे
46. पहचानसूचक बोर्ड
47. कर्मचारी खोज
48. टैक्सी का रास्ता
49. टायलेट एवं नर्सिंग मदर रूम
50. अवशिष्ट व कचरा उपचार तथा निपटान
51. चैक-इन के समय सामान की जांच के लिए एक्स-रे मशीन की सुविधा
52. वीआईपी/विशेष लांज